# चेक संग्रहण संबंधी नीति (विदेशी मुद्रा के चेक सहित)/ चेक/ ईसीएस/ एनएसीएच अधिदेश का बारंबार अनादरण

## वित्तीय वर्ष 2024 – 2026

## संस्करण 2.0

## बैंकिंग परिचालन विभाग

यह नीति "चेक संग्रहण और चेकों के बारंबार अनादरण संबंधी नीति *2022-24"*को अधिक्रमित करेगी और उसका स्थान लेगी । यह नीति इंडियन बैंक की संपत्ति है, और इसे इंडियन बैंक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पुन: प्रस्तुत या प्रतिलिपित नहीं किया जा सकता है।

*नीति प्रमाणन*

| | |
|---|---|
| **शीर्षक** | **चेक संग्रहण संबंधी नीति (विदेशी मुद्रा के चेक सहित)/ चेक/ ईसीएस/ एनएसीएच अधिदेश का बारंबार अनादरण** |
| **संस्करण** | **2.0** |

| | |
|---|---|
| **स्वामित्व:** | **बैंकिंग परिचालन विभाग** |
| **प्रस्तुतकर्ता:** | **बैंकिंग परिचालन विभाग** |
| **समीक्षाकर्ता:** | **महाप्रबंधक बीओडी/ सीओओ** |
| **अनुमोदनकर्ता:** | **बोर्ड** |
| **प्रभावी तिथि:** | **01 अप्रैल 2024** |
| **वैधता** | **31 मार्च 2026** |

संस्करण नियंत्रण

| संस्करण सं | प्रस्तुतकर्ता | अनुमोदनकर्ता | तिथि से प्रभावी |
|---|---|---|---|
| संस्करण 1.0 | बैंकिंग परिचालन विभाग | बोर्ड | 01.04.2022 |
| संस्करण 2.0 | बैंकिंग परिचालन विभाग | बोर्ड | |
| | | | |

वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन:

| जारी करने की तिथि | परिपत्र सं. | परिपत्र का नाम |
|---|---|---|
| 08.07.2022 | सीआरए-26 | पॉज़िटिव पे सिस्टम (पीपीएस) – दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति |
| 24.08.2022 | सीआरए -35 | सीटीएस क्लियरिंग में चेकों पर कार्रवाई के दौरान शाखाओं द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विधि |
| 16.10.2023 | सीआरए -53 | पॉज़िटिव पे सिस्टम (पीपीएस) – दिशानिर्देशों की पुनरावृत्ति |

नीति में निम्नलिखित 2 खंड शामिल हैं:

खंड ए : चेक/ ईसीएस/ एनएसीएच अधिदेश के बारंबार अनादरण संबंधी नीति

खंड बी: चेक एवं अन्य लिखतों के संग्रहण संबंधी नीति
(विदेशी मुद्रा के चेक के संग्रहण सहित)

## विषयसूची

यह पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया है.....7

**खंड ए: चेक/ ईसीएस/ एनएसीएच अधिदेश के बारंबार अनादरण होने संबंधीनीति**.....8
1. नीति का प्रयोजन: .....8
2. आवेदन का दायरा.....8
3. नीति का उद्देश्य.....8
4. विनियामक संदर्भ..... 8
5. प्रस्तावना..... 8
6. पॉज़िटिव पे सिस्टम (पीपीएस) .....8
7. संसाधन – बारंबार अनादरण की घटनाओं से निपटना.....9
7.1 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक का अनादरण.....9
7.2 1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेक/एनएसीएच/ईसीएस का अनादरण.....10
8 भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ.....10
9 अलाभकारी/अवांछनीय खाता..... 10
10 न्यायालयों आदि का सहयोग.....10
11 नीति की समीक्षा.....11
**खंड बी - चेक और अन्य लिखतों के संग्रहण की नीति (विदेशी मुद्रा के चेकों के संग्रहण सहित)**..... 12
1. नीति का प्रयोजन.....12
2. आवेदन का दायरा.....12
3. नीति का उद्देश्य.....12
4. नीति का दायरा.....12
5. विनियामक संदर्भ.....12
6. नीति में निम्नलिखित उप खंड हैं: .....12
7. चेक संग्रहण नीति – अंतर्देशीय.....13
8. 'सममूल्य पर देय' चेक जारी करना.....13
9. संसाधन - चेक और अन्य लिखतों का संग्रहण.....14
9.1 स्थानीय चेक.....14
9.2 सीटीएस के अंतर्गत चेक समाशोधन.....15
9.3 बाहरी चेक..... 15
9.4 आदाता खाता चेक.....15
9.5 विदेशों में देय चेक..... 16
9.6 आरटीजीएस / एनईएफटी / आईएमपीएस के माध्यम से आगम राशि का संग्रह / विप्रेषण..... 16
10. चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) ..... 16

10.1 सीटीएस में प्रस्तुतकर्ता बैंक की भूमिका और जिम्मेदारी..... 16
10.2 सीटीएस-2010, मानक चेक जारी करना.....17
10.3. सीटीएस आधारित समाशोधन प्रणाली के संशोधित परिदृश्य के तहत चेक समाशोधन प्रक्रिया: ..... 17
11. स्थानीय/बाहरी चेक/ लिखतों की राशि को तत्काल जमा किया जाना.....17
12. स्थानीय/बाहरी चेक की खरीद..... 18
13. स्थानीय/बाहरी चेक/लिखत के संग्रहण के लिए समय सीमा..... 18
14. विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान.....19
14.1 स्थानीय समाशोधन चेक.....19
14.2 बाहरी चेक..... 19
15.परेषण/समाशोधन प्रक्रिया या भुगतानकर्ता शाखा में खो गए चेक/लिखत.....19
16.अपरिहार्य घटना.....20
17. अदत्त वापस किए गए चेक पर ब्याज प्रभारित करना, जहां तत्काल क्रेडिट दिया गया था..... 20
18.अनादरण चेक की वापसी/प्रेषण.....21
19.सेवा प्रभार.....21
विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के चेक के संग्रहण संबंधी नीति.....22
1. प्रस्तावना.....22
2. नीति का दायरा: .....22
3. भारत के बाहर के देशों में देय चेक और अन्य लिखतों का संग्रहण.....22
4. नकद पत्र सेवाएँ.....23
5. प्रत्यक्ष संग्रहण व्यवस्था (डीसीए) .....23
6. संग्रहण की पद्धति का चयन.....23
7. पारगमन समय में कमी.....24
8. सेवा प्रभार.....24
9. विलंबित क्रेडिट हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान.....24
10. कम मूल्य के चेक के लिए तत्काल क्रेडिट.....24
11. ग्राहक शिकायत..... 25
12. अमेरिकी विनियमन की प्रयोज्यता.....25
13. अन्य दिशानिर्देश.....25
14. नीति की समीक्षा.....25

# यह पृष्ठ जानबूझकर खाली छोड़ा गया है

## खंड ए: चेक एवं एनएसीएच/ईसीएस अधिदेश के बारंबार अनादर संबंधी नीति

### 1. नीति का प्रयोजन:

इस नीति का प्रयोजन चेक के भुगतान और एनएसीएच/ईसीएस अधिदेश के संबंध में ग्राहकों द्वारा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए परिचालनगत दिशानिर्देश प्रदान करना है।

### 2. आवेदन का दायरा

यह नीति बैंक की सभी शाखाओं और सेवा शाखाओं पर प्रयोज्य है, जो ग्राहकों से प्राप्त चेक और एनएसीएच/ईसीएस अधिदेशों का प्रसंस्करण करते हैं। सभी कार्मिकों को इस प्रलेख की विषयवस्तु से पूर्णतः परिचित होना चाहिए और उन्हें अपने दैनिक कामकाज में नीतिगत ढाँचे के अधीन रहते हुए सही निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए।

### 3. नीति का उद्देश्य

इस नीति का उद्देश्य खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेकधारक के किसी विशेष खाते पर आहरित चेक या एनएसीएच/ईसीएस के नकारे जाने की स्थिति में चेक एनएसीएच/ईसीएस अधिदेश सुविधा वाले खातों के परिचालन के लिए ग्राहकों के बीच वित्तीय अनुशासन लागू किया जा सके।

### 4. विनियामक संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक और एनएसीएच/ईसीएस अधिदेशों के बारंबार नकारे जाने की स्थिति से निपटने के लिए अपने मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.एलईजी.बीसी.21/09.07.006/2015-16 दिनांकित 01.07.2015 के माध्यम से महत्वपूर्ण अनुदेश जारी किए गए हैं।

आरबीआई ने दिनांक 25/09/2020 के अपने पत्र के माध्यम से सभी बैंकों को दिनांक 01/01/2021 से सीटीएस समाशोधन के लिए "पॉजिटिव पे सिस्टम" (पीपीएस) लागू करने का निदेश दिया है।

### 5. प्रस्तावना

ग्राहक सेवा से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक का मास्टर परिपत्र, चेक के बारंबार नकारे जाने की घटना से निपटने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। जिसमें, उपर्युक्त मास्टर परिपत्र के पैरा 15.4 में रु.1 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के चेक के बारंबार नकारे जाने से की स्थिति से निपटने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाविधि निर्धारित की गई है और पैरा 15.5 में रु.1 करोड़ से कम मूल्य के चेक एवं एनएसीएच/ईसीएस अधिदेशों के बारंबार नकारे जाने की स्थिति से निपटने संबंधित मामलों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करने का प्रावधान है।

### 6. पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस)

पॉजिटिव पे सिस्टम की अवधारणा में एक ऐसी प्रक्रिया शामिल है, जिसमें चेक जारी करने वाला ग्राहक चेक जारी करने वाले बैंक को चेक का विवरण जैसे चेक नंबर, जारी करने की तिथि, राशि, लाभार्थी/भुगतानकर्ता का नाम आदि बताता है, जो सिस्टम में संग्रहित होते हैं। जब उक्त चेक को भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो सिस्टम में संग्रहीत चेक के संबंध में विवरण चेक के संबंधित विवरण के साथ क्रॉस-चेक किया जाता है। ग्राहक शाखाओं के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और बैंक की वेबसाइट जैसे वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से बैंक को चेक का विवरण बता सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अवगत कराया है कि सीटीएस ग्रिड पर विवाद समाधान व्यवस्था के तहत केवल वे चेक ही स्वीकार किए जाएंगे जो उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुनः अवगत कराया है कि बैंक सीटीएस के बाहर समाशोधित/संग्रहित चेक के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। विसंगति यदि कोई है, तो सीटीएस द्वारा आहर्ता बैंक और प्रस्तुतकर्ता बैंक को सूचित किया जाएगा जो निवारण उपाय करेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि बैंक रु.5,00,000/- और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। हालाँकि, हमारे बैंक ने रु.2,00,000/- और उससे अधिक मूल्य के चेक के लिए पीपीएस विवरण प्राप्त करने का निर्णय लिया है।

समाशोधन के लिए चेक प्रस्तुत किए जाने पर (रु.5000 और उससे अधिक मूल्य के चेक के लिए) बैंक खाताधारक या चेक जारीकर्ता को एसएमएस अलर्ट भेजेगा। खाते से डेबिट करने के बाद ग्राहक को अतिरिक्त एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं।

## 7. संसाधन – बारंबार अनादरण की घटनाओं से निपटना

### 7.1 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य के चेक का अनादरण

1. चेकधारक के किसी विशेष खाते में वित्तीय वर्ष के दौरान चार बार आहरित रु.1 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के चेक खातों में यदि पर्याप्त धनराशि न होने के कारण इसे नकारा जाता है, तो कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। नई चेक बुक जारी करते समय ग्राहकों को इस स्थिति से अवगत कराया जाएगा और साथ ही, चेक बुक जारी करने से रोकने के लिए प्रणालीगत नियंत्रण लागू किया जाएगा।
2. यदि वित्तीय वर्ष के दौरान, जारीकर्ता के किसी विशेष खाते में रु.1 करोड़ और उससे अधिक का चेक तीसरी बार अस्वीकृत हो जाता है, तो बैंक ग्राहक को एक चेतावनीपूर्ण सूचना जारी करेगा, ताकि उसका ध्यान उर्पयुक्त स्थिति की ओर आकर्षित किया जा सके और वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते में चौथी बार चेक अस्वीकृत होने की स्थिति में चेक सुविधा बंद किए जाने की जानकारी दी जा सके।
3. ऐसे मामलों में, ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा और उन्हें खाते में पर्याप्त शेष राशि रहने पर ही चेक जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। यदि प्रयास व्यर्थ होते हैं, तो नीचे पैरा 4 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ऐसे खातों को बंद कर दिया जाएगा।
4. तथापि, ओसीसी/ओडी जैसे अग्रिम खातों के संबंध में, इन खातों में सुविधाओं और चेक सुविधाओं को जारी रखने या न रखने की आवश्यकता की समीक्षा, संस्वीकृत प्राधिकारी से उच्चतर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।
5. रु.1 करोड़ या उससे अधिक की राशि के प्रत्येक अस्वीकृत चेक से संबंधित डेटा को बैंक के एमआईएस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए और ऐसे डेटा को संबंधित शाखाओं द्वारा अपने नियंत्रण कार्यालय/मुख्यालय को रिपोर्ट करना चाहिए। इस संबंध में एकत्रित विवरण प्रत्येक तिमाही में बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6. स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में आहरित और अस्वीकृत चेकों से संबंधित डेटा को बैंकों द्वारा ब्रोकर संस्थाओं से संबंधित अपने एमआईएस के एक भाग के रूप में ऐसे चेकों के मूल्य पर ध्यान दिए बिना अलग से समेकित किया जाना चाहिए तथा उनके संबंधित प्रधान कार्यालयों/केंद्रीय कार्यालयों को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

### 7.2 1 करोड़ रुपये से कम मूल्य के चेक/एनएसीएच/ईसीएस का अनादरण

1. चेकधारक के किसी विशेष खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण वित्तीय वर्ष के दौरान छह बार रु.1 करोड़ से कम मूल्य के चेक/एनएसीएच/ईसीएस अधिदेश खाते में नकारे जाते हैं, तो इसे बारंबार चेक नकारना माना जाएगा और कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। ग्राहकों को नई चेक बुक जारी करने/एनएसीएच/ईसीएस अधिदेश स्वीकार करते समय इस स्थिति से अवगत कराया जाएगा।
2. यदि एक करोड़ रुपये से कम राशि का चेक/एनएसीएच/ईसीएस आदेश वित्तीय वर्ष के दौरान आहर्ता के किसी विशेष खाते में पांचवीं बार नकारा जाता है, तो बैंक ग्राहक को एक चेतावनीपूर्ण सूचना जारी करेगा, ताकि उसका ध्यान उर्पयुक्त स्थिति की ओर आकर्षित किया जा सके और वित्तीय वर्ष के दौरान उसी खाते में छठी बार चेक अस्वीकृत होने की स्थिति में चेक सुविधा बंद करने की जानकारी दी जा सके।
3. ऐसे मामलों में ग्राहकों से संपर्क किया जाएगा और उन्हें खातों में पर्याप्त शेष राशि के आधार पर ही चेक/अधिदेश जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाएगा। यदि प्रयास व्यर्थ होते हैं, तो नीचे पैरा 4 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ऐसे खातों को बंद कर दिया जाएगा।
4. तथापि, ओसीसी/ओडी जैसे अग्रिम खातों के संबंध में, इन खातों में सुविधाओं और चेक सुविधाओं को जारी रखने या न रखने की आवश्यकता की समीक्षा, संस्वीकृत प्राधिकारी से उच्चतर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

## 8 भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

शाखाएं ग्राहकों को चेक जारी करने से पूर्व अपने खाते में पर्याप्त शेषराशि रखने के लिए प्रेरित और उन्हें अवगत कराएं कि ग्राहक अपने खाते में पर्याप्त शेषराशि रखने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं ताकि वापसी और उनके खातों को बंद करने से बचा जा सके।

## 9 अलाभकारी/अवांछनीय खाता

I. बैंक खाताधारक को पंजीकृत पत्र भेजने के उपरांत शाखा प्रबंधक की लिखित प्राधिकार के बिना नया चेक बुक जारी या नया एनएसीएच/ईसीएस अधिदेश स्वीकार नहीं करेगा।

II. खाता बंद करते समय अप्रयुक्त चेक पन्ने /बुक वापस लेने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

III. बैंक ग्राहक को उचित सूचना या कारण बताए बिना जमा खातों को बंद करने का एकतरफा निर्णय नहीं लेगा।

(अवांछनीय खातों से संबंधित अन्य दिशानिर्देशों के लिए कॉ.का : आर एंड जीआर द्वारा जारी जमा नीति का संदर्भ लें)

## 10 न्यायालयों आदि को सहयोग

किसी न्यायालय, उपभोक्ता फोरम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नकारे गए चेक से संबंधित किसी कार्यवाही में शिकायतकर्ता (अर्थात नकारित चेक का आदाता/धारक) की ओर से चेक नकारे जाने के तथ्य को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ, बैंक पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा तथा चेक नकारे जाने के तथ्य का प्रलेखी प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

## 11 नीति की समीक्षा

नीति की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष में की जाएगी। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस योजना में होने वाले किसी भी संशोधन/आशोधन या योजना को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस लेने और सेवा प्रभार सहित किसी भी मानदंड में छूट देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

# खंड बी – चेक और अन्य लिखतों के संग्रहण की नीति

**(विदेशी मुद्रा के चेकों के संग्रहण सहित)**

### 1. नीति का प्रयोजन

बैंक की चेक संग्रहण नीति हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और कार्य निष्पादन के उच्च मानक निर्धारित करने के हमारे सतत प्रयासों का प्रतिबिंबित करती है। यह नीति ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रहण सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

### 2. आवेदन का दायरा

यह नीति बैंक की किसी भी विदेशी/अपतटीय इकाई सहित सभी व्यवसाय और परिचालन इकाइयों पर प्रयोज्य है। सभी कार्मिकों को इस प्रलेख की विषय–वस्तु से पूर्णतः परिचित होना चाहिए और उन्हें अपने दैनिक कामकाज में नीतिगत ढाँचे के अधीन रहते हुए अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए।

### 3. नीति का उद्देश्य

इस नीति में लिखत के संग्रहण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और संग्रहण के लिए समय मानदंड निर्धारित किए गए हैं। यह उन स्थितियों में ब्याज का भुगतान भी प्रदान करता है, जहां बैंक समय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है। इसमें चेकों के संग्रहण और परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है।

### 4. नीति का दायरा

इस नीति प्रलेख में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है:

ए. भारत और विदेश के केंद्रों पर चेक और अन्य लिखतों का संग्रहण, जो भारत में देय हैं।

बी. लिखतों के संग्रहण के लिए समय मानदंडों की प्रतिबद्धता।

सी. उन मामलों में ब्याज का भुगतान जहां बैंक बाहरी लिखतों की आय की वसूली के लिए समय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है।

डी. परेषण में खोए संग्रहित लिखतों।

ई. हमारे बैंक में आहरित 'सममूल्य पर देय' चेक।

### 5. विनियामक संदर्भ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महत्वपूर्ण अनुदेशों के रूप में जारी ग्राहक सेवा से संबंधित मास्टर परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.एलईजी.बीसी. 21/09.07.006/2015-16 दिनांक 01.07.2015

### 6. नीति के निम्नलिखित उप खंड हैं:

**ए: चेक और अन्य लिखत के संग्रहण संबंधी नीति**

**बी. विदेशी मुद्रा चेकों के संग्रहण संबंधी नीति।**

## ए: चेक और अन्य लिखत के संग्रहण संबंधी नीति

### 7. चेक संग्रहण नीति – अंतर्देशीय

I. भुगतान और निपटान प्रणालियों में तकनीकी प्रगति और कई बैंकों द्वारा परिचालन प्रणालियों और प्रक्रियाओं में किए गए गुणात्मक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि नियमों का एक ही सेट निर्धारित करना उचित नहीं हो सकता है।

II. प्रासंगिक रूप से, अधिकांश देशों में बैंक चेक के संग्रहण से संबंधित उनकी अपनी एकल नीति/प्रक्रिया विकसित करने के लिए बाध्य है और साथ ही बैंक के दायित्वों और ग्राहकों के अधिकारों के बारे में ग्राहकों को उचित जानकारी भी प्रदान की जाती है।

III. अतः, आय के संग्रहण में दक्षता तथा ग्राहकों को समय पर धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश करने की बजाय बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है।

IV. स्थानीय/बाहरी लिखतों के तत्काल जमा, ऐसे लिखतों के संग्रहण तथा विलंबित संग्रह के लिए ब्याज भुगतान संबंधी पूर्व दिशानिर्देशों को आरबीआई द्वारा वापस लेने से यह अपेक्षा की गई थी कि आनेवाली प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार शक्तियां चेकों तथा अन्य लिखतों के संग्रहण की दक्षता में सुधार करने में सक्षम हो सकेंगी।

V. बैंक की चेक संग्रहण नीति हमारे ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और कार्य निष्पादन के उच्च मानक निर्धारित करने के हमारे सतत प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है। यह नीति ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। बैंक अपने ग्राहकों को त्वरित संग्रहण सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

### 8. 'सममूल्य पर देय' चेक जारी करना

I. बैंक सभी पात्र ग्राहकों को बैंक की "अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) / धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करना (सीएफटी) नीति" के तहत जोखिम वर्गीकरण के बावजूद 'सममूल्य पर देय' चेक जारी करता है।

II. हमारी किसी भी शाखा पर आहरित ऐसे चेकों के मामले में, जो या तो संग्रहण के लिए प्रस्तुत किए गए हों या भुगतान के लिए प्राप्त किए गए हों (समाशोधन के तहत प्राप्त चेकों सहित), होस्ट ब्रांच स्वयं ऐसे चेकों को स्वीकार करती है, यदि अन्यथा क्रम में हों, और नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए लेनदेन करती हों:

ए. किसी भी प्रकार के लेनदेन के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

बी. अंतरण और समाशोधन लेनदेन के मामले में लिखतों की संख्या और राशि की ऊपरी सीमा पर कोई सीमा नहीं होगी।

सी. बचत बैंक / सीए / सीसी / ओडी खातों से स्वयं के लिए नकद निकासी के मामले में प्रति निकासी रु.50000/- की सीमा के साथ (केवल खाताधारक के लिए अर्थात केवल स्वयं-चेक)।

✍ **नोट:** मल्टीसिटी खाते के मामले में, स्वयं और तृतीय पक्ष दोनों द्वारा होस्ट शाखाओं में प्रति निकासी रु.50000/- तक का नकद भुगतान किया जा सकता है, फिर चाहे वह एसबी/सीए/सीसी/ओडी खाता कुछ भी हो।

III. किसी अन्य पक्षकार के नकद आहरण पर विचार नहीं की जाएगा, भले ही ऐसे चेक स्वयं को देय 'वाहक' चेक हों या नहीं।

IV. चूंकि ये परिचालन संबंधी मुद्दे हैं, इसलिए परिचालन के दौरान इनमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है और इन्हें व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर एमडी एवं सीईओ द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

V. जहां भी सहकारी बैंकों ने हमारे बैंक के साथ चालू खाते खोलने और अपने ग्राहकों तथा स्वतः प्रेरित ग्राहकों को उनके धन प्रेषण और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए 'सममूल्य' चेक जारी करने के लिए चेक बुक सुविधा का उपयोग करने की व्यवस्था की है, बैंक ऐसी व्यवस्थाओं की निगरानी और समीक्षा करेगा जिससे उनसे होने वाले ऋण जोखिम और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम सहित जोखिमों का आकलन किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, बैंक को ऐसी व्यवस्था के तहत केवाईसी और एएमएल पर मौजूदा निर्देशों के अनुपालन के लिए ग्राहक सहकारी बैंकों / समितियों द्वारा रखे गए रिकॉर्डों को सत्यापित करने का अधिकार है।

## 9. संसाधन – चेक और अन्य लिखतों का संग्रहण

### 9.1. स्थानीय चेक

I. स्थानीय रूप से देय या "सममूल्य/मल्टी-सिटी में देय" के रूप में चिह्नित किए गए सभी चेक और अन्य परक्राम्य लिखत, केंद्र में प्रचलित समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।

II. समाशोधन के लिए विनिर्दिष्ट समय से पहले शाखा काउंटरों एवं शाखा परिसर में संग्रहण बक्से में जमा किए गए चेक उसी दिन समाशोधन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। विनिर्दिष्ट समय उस केंद्र में निर्धारित समाशोधन समय के आधार पर शाखावार भिन्न हो सकता है।

III. विनिर्दिष्ट समय के बाद और ऑफ-साइट एटीएम सहित शाखा परिसर के बाहर संग्रह बॉक्स में जमा किए गए चेक केंद्र में अगले उपलब्ध समाशोधन में प्रस्तुत किए जाएंगे।

IV. बैंक की शाखाएँ चेक की स्वीकृति के लिए विनिर्दिष्ट समय प्रदर्शित करती हैं जो सरकारी करों के लिए प्राप्त चेकों सहित सभी के लिए लागू होती हैं।

V. नीतिगत रूप में, शाखाएँ उसी दिन ग्राहकों के खातों में क्रेडिट करेगी जिस दिन समाशोधन निपटान होता है। उस केंद्र के क्लियरिंग हाउस के चेक रिटर्न शेड्यूल के अनुसार राशि की आहरण की अनुमति दी जाएगी।

VI. उन केंद्रों पर स्थित बैंक शाखाएँ जो किसी भी सीटीएस ग्रिड के सदस्य नहीं हैं या जहां कोई क्लीयरिंग हाउस केंद्र में मौजूद नहीं है, शाखाएं अदाकर्ता बैंकों के काउंटर पर स्थानीय चेक जमा करेंगी और यह बैंक का प्रयास होगा कि वे जल्द से जल्द लेकिन ग्राहक द्वारा जमा की गई तारीख से तीसरे कार्य दिवस के अंदर चेक को क्रेडिट करें। बैंक सीटीएस ग्रिड के तहत सभी शाखाओं को कवर करने का प्रयास करेगा। जहां संभव नहीं है (दूरस्थ परिस्थितियां), शाखाओं को संबंधित सीटीएस ग्रिड सेंटर को भौतिक चेक भेजे। काउंटर पर मैनुअल प्रस्तुति को अधिकांशतः टाला जाना चाहिए।

VII. बैंक अपने ग्राहकों को सीबीएस नेटवर्क में अपनी किसी भी शाखा में निर्दिष्ट समय तक जमा किए गए आउट स्टेशन इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में उसी दिन क्रेडिट प्रदान करेगा, और ज्यादा से ज्यादा अगले कार्य दिवस में यदि ऑफसाइट एटीएम सहित शाखा परिसर के बाहर संग्रह बॉक्स में जमा किया जाता है।

VIII. समाशोधन सुविधा वाले शाखाओं में बैंकिंग हॉल में एक नोटिस बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं ताकि ग्राहकों को समाशोधन प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी हो:

ए. कट-ऑफ समय जो उनके काउंटरों पर और संग्रह बॉक्स में प्राप्त चेक को उसी दिन समाशोधन में भेजा जाएगा,

बी. वह समय जब ग्राहक का खाता चेक के सापेक्ष में क्रेडिट किया जाता है और

सी. ग्राहक इन आगम राशि का उपयोग करने में कब सक्षम होंगे।

IX. चेक वापसी प्रभार केवल उन मामलों में लगाया जाएगा जहां ग्राहक की गलती है और इस तरह की वापसी के लिए जिम्मेदार है।

X. चेक जिन्हें भुगतान करने वाले के लिए बिना किसी सुधार के फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, को तत्काल अगली प्रस्तुति में 24 घंटे (छुट्टियों को छोड़कर) के अंदर की अगली प्रस्तुति में किया जाएगा, जो कि एसएमएस अलर्ट के माध्यम से इस तरह के पुन: प्रस्तुति के ग्राहकों को उनके पंजीकृत मोबाइलों के लिए उचित अधिसूचना के साथ किया जाएगा।

### 9.2 सीटीएस के अंतर्गत चेक समाशोधन

ग्रिड-आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्लीयरिंग के तहत, ग्रिड क्षेत्राधिकार में आने वाली बैंक शाखाओं पर जमा की गई सभी चेकों को स्थानीय चेक के रूप में माना जाता है और उन्हें मंजूरी दी जाती है। ग्रिड क्लीयरिंग बैंकों को ग्रिड स्थान में अपनी सर्विस शाखाओं के माध्यम से कई शहरों से एकल क्लियरिंग हाउस में / से चेक पेश करने / प्राप्त करने की अनुमति देता है।

सीटीएस पारंपरिक तंत्रों की तुलना में ग्राहकों को धन के तेज और सस्ते प्राप्ति को सक्षम बनाता है। संग्रह के लिए दर्ज किए गए सभी बाहरी चेक को स्थानीय समाशोधन में प्रस्तुत किया जाएगा और कोई बाहरी चेक संग्रह शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

### 9.3 बाहरी चेक

I. आउटस्टेशन केंद्रों पर अन्य बैंकों पर जमा किए गए चेक, और यह भी कि " सममूल्य / मल्टी-सिटी में देय" के रूप में चिह्नित नहीं है, सामान्यत: उन केंद्रों में हमारी शाखाओं के माध्यम से एकत्र किया जाएगा।

II. जहां हमारे बैंक की कोई शाखा नहीं है, लिखत को प्रतिनिधि बैंक के माध्यम से या सीधे अदाकर्ता बैंक के माध्यम से संग्रहण के लिए भेजा जाएगा।

### 9.4 आदाता खाता चेक

I. बैंक केवल आदाता घटक खातों के क्रेडिट के लिए 'आदाता खाता' चेक संग्रहित करता है।

II. बैंक सहकारी क्रेडिट सोसाइटीज के खाते में रु.50000/-से अधिक की राशि के लिए जमा की गई खाता भुगतानकर्ता 'चेक स्वीकार करता है, अगर इस तरह के चेक का भुगतानकर्ता ऐसे सहकारी क्रेडिट सोसाइटीज के घटक हैं। बैंक इस तरह के लिखतों को अलग कोड देकर, कॉका: आईटीडी के समन्वय से ऐसे सभी लिखतों के रिकॉर्ड/डेटा को बनाए रखने के लिए कदम उठाएगा।

### 9.5 विदेशों में देय चेक

I. विदेशी केंद्रों पर देय चेक, जहाँ हमारे बैंक की शाखाएँ हैं (या किसी सहायक कंपनी के माध्यम से बैंकिंग परिचालन, आदि) उस कार्यालय के माध्यम से स्वीकार किए जाएँगे। प्रतिनिधि बैंकों की सेवाओं का उपयोग उन देशों/केंद्रों में किया जाएगा जहाँ हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं।

II. विदेशी बैंकों या उन केंद्रों पर आहरित चेक, जहाँ बैंक या उसके प्रतिनिधि की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं है, सीधे आहर्ता बैंक या केंद्र में स्थित किसी भी बैंक को भेजे जाएँगे, जिसमें निर्देश होगा कि वे चेक की राशि को प्रतिनिधि बैंकों में से किसी एक के साथ रखे गए बैंक के संबंधित नोस्ट्रो खाते में क्रेडिट करें।

### 9.6 आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से आगम राशि का संग्रहण/विप्रेषण

संग्रहण के लिए स्थानीय/बाहरी चेक/लिखत भेजते समय शाखाएँ प्रेषणकर्ता बैंक शाखा से आगम राशि को केवल आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से प्रेषित करने का अनुरोध करेंगी। शाखाएँ अपने आईएफएस कोड/एमएमआईडी को कवरिंग शेड्यूल में प्रेषणकर्ता बैंक शाखा को अन्य विवरणों के साथ प्रस्तुत करेंगी, ताकि वे आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से आगम राशि का प्रेषण कर सकें। इसी तरह, शाखाएँ अन्य बैंकों से प्राप्त लिखतों की राशि को आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस के माध्यम से प्रेषित करेंगी।

## 10. चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस)

ट्रंकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें चेक जारी करने वाले द्वारा जारी किए गए भौतिक चेक को आहर्ता शाखा में जाने से रोका जाता है। भौतिक लिखत को आहर्ता शाखा में जाने के दौरान छटनी कर दिया जाएगा और चेक की एक इलेक्ट्रॉनिक छवि आहर्ता शाखा को एमआईसीआर फ़ील्ड, प्रस्तुति की तिथि, प्रस्तुत करने वाले बैंक आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी के साथ भेजी जाएगी।

### 10.1 सीटीएस में प्रस्तुतकर्ता बैंक की भूमिका और ज़िम्मेदारी

I. चूँकि भुगतान प्रक्रिया चेक की छवियों के आधार पर की जाती है, इसलिए उचित जाँच का दायित्व प्रस्तुतकर्ता बैंकर पर आ जाता है, जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 131 के स्पष्टीकरण II के तहत प्रावधान किया गया है।

II. शाखाएँ समय-समय पर जारी किए गए निर्धारित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों को लागू करेंगी।

III. प्रस्तुत करने वाली शाखा इच्छित आदाता की ओर से लिखत को एकत्र करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और संशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम में निर्धारित शर्तों के अनुसार उचित जांच करेगी।

IV. सभी स्थानीय और अंतर-शहरी चेक सीटीएस में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। हमारे बैंक पर आहरित चेक सीटीएस में प्रस्तुत नहीं किए जाएँगे।

V. भौतिक लिखतों को हमारे बैंक की 'दस्तावेजीकरण' नीति में निर्दिष्ट आवश्यक वैधानिक अवधि के लिए संग्रहित किया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता शाखा के लिए ऐसी वैधानिक अवधि के लिए भौतिक लिखतों को संग्रहित करना अनिवार्य होगा।

VI. यदि कोई ग्राहक लिखत वापस लेना चाहता है, तो लिखत प्रस्तुतकर्ता बैंक से आहर्ता बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

VII. चेक स्वीकार करते समय शाखाएँ चेक ट्रंकेशन सिस्टम में प्रस्तुत करने के लिए किसी भी परिवर्तन/सुधार (यदि आवश्यक हो तो तिथि सत्यापन उद्देश्यों के अलावा) के साथ चेक स्वीकार नहीं करेंगी। यदि चेक में आदाता के नाम, राशि (अंकों में राशि) या वैधानिक राशि (शब्दों में राशि) आदि में कोई परिवर्तन/सुधार पाया जाता है, तो ग्राहकों से नया चेक प्राप्त किया जाएगा।

### 10.2 सीटीएस -2010, मानक चेक जारी करना

बैंक द्वारा जारी किए गए सभी चेक सीटीएस -2010 मानक के अनुरूप हैं। 31 दिसंबर, 2018 से गैर- सीटीएस चेक बंद कर दिए गए हैं। अभी तक, गैर-सीटीएस चेक सीटीएस में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं।

### 10.3 सीटीएस आधारित समाशोधन प्रणाली के संशोधित परिदृश्य के तहत चेक समाशोधन प्रक्रिया:

चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) **उत्तरी ग्रिड** दिल्ली में, **दक्षिणी ग्रिड** चेन्नई में और **पश्चिमी ग्रिड** मुंबई में काम कर रहा था। वन नेशन, वन ग्रिड परियोजना के तहत, उत्तरी और पश्चिमी सीटीएस ग्रिड को देश के लिए एकल ग्रिड बनाने के लिए दक्षिणी ग्रिड के साथ विलय कर दिया गया है। एकल ग्रिड से ग्राहकों को बाहरी चेकों की तेजी से प्राप्ति का लाभ मिलेगा। इससे बैंकों को आसान फंड मैनेजमेंट, बुनियादी ढांचे को सुव्यवस्थित करने और समग्र दक्षता में सुधार का भी लाभ मिलेगा।

आरबीआई ने निर्देश दिया है कि चेक में कोई बदलाव/सुधार नहीं किया जाना चाहिए। भुगतानकर्ता के नाम, राशि (अंकों में राशि) या वैध राशि (शब्दों में राशि) आदि में किसी भी बदलाव के लिए ग्राहकों द्वारा नए चेक फॉर्म का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे बैंकों को धोखाधड़ी वाले बदलावों की पहचान करने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। संग्रह करने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे चेक सीटीएस में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार नहीं किए जाते हैं। यह अन्य समाशोधन व्यवस्थाओं जैसे एमआईसीआर समाशोधन, गैर-एमआईसीआर समाशोधन, काउंटर संग्रहण (नकद भुगतान के लिए) या समाशोधन गृह व्यवस्था के बाहर चेकों के प्रत्यक्ष संग्रहण के अंतर्गत समाशोधित चेकों पर लागू नहीं है।

### 11 स्थानीय/बाहरी चेक/लिखतों राशि को तत्काल जमा किया जाना

I. बैंक की शाखाएं और विस्तार पटल व्यक्तिगत खाताधारकों द्वारा वसूली के लिए प्रस्तुत 15000/- रुपये के कुल मूल्य तक के बाहरी चेकों/लिखतों का तत्काल जमा कर सकते हैं, बशर्ते ऐसे खातों का संचालन संतोषजनक हो। बैंक की शाखाएं/विस्तार पटल व्यक्तिगत खाताधारकों को डिमांड ड्राफ्ट, ब्याज/लाभांश वारंट आदि जैसे प्रीपेड लिखतों के साथ-साथ सरकारी विभागों और उपक्रमों द्वारा निकाले गए लिखतों के संबंध में 25000 रुपये (केवल पच्चीस हजार रुपये) के कुल मूल्य तक तत्काल जमा सुविधा प्रदान करने पर विचार करेंगे।

II. संतोषजनक ढंग से संचालित खाता वह होगा

ए. जो कम से कम 6 महीने पहले खोला गया हो और केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करता हो,

बी. जिसका संचालन संतोषजनक रहा हो और शाखा ने कोई अनियमित लेन-देन नहीं देखा हो,

सी. जहां कोई चेक/लिखत जिसके लिए पहले तत्काल जमा किया गया था, वित्तीय कारणों से बिना भुगतान के वापस नहीं आया हो और

डी. जहां शाखा को तत्काल क्रेडिट देने के बाद, वापस किए गए चेक सहित अतीत में दी गई किसी भी राशि की वसूली में कोई कठिनाई नहीं हुई हो।

III. ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर या पूर्व व्यवस्था के अनुसार ऐसे संग्रहण लिखतों के विरुद्ध तत्काल क्रेडिट प्रदान किया जाएगा।

## 12. स्थानीय/बाहरी चेक की खरीद

ग्राहक द्वारा जमा किए गए चेक को शाखा द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते ग्राहक के पास स्वीकृत सीमा हो या वह विशिष्ट लिखित अनुरोध करे। खाते के संतोषजनक संचालन के अलावा, चेक खरीदने वाले की स्थिति भी चेक खरीदते समय विचार करने वाला एक कारक होगा।

## 13. स्थानीय/बाहरी चेक/लिखत के संग्रहण के लिए समय सीमा

I. समाशोधन में प्रस्तुत स्थानीय चेकों के लिए, समाशोधन में निधियों के निपटान की तिथि के अनुसार क्रेडिट दिया जाएगा और खाताधारक को शाखा के स्थान के आधार पर रिटर्न समाशोधन मानदंडों (सामान्य परिस्थितियों में) के अनुसार धन निकालने की अनुमति दी जाएगी।

II. देश के भीतर केंद्रों को संग्रह के लिए भेजे गए बाहरी चेक और अन्य लिखतों के मामले में शाखाओं द्वारा आगम राशि के लिए निम्नलिखित समय सारिणी का पालन किया जाएगा:

| | |
|---|---|
| राज्य की राजधानियाँ | अधिकतम अवधि 7 दिन |
| प्रमुख शहर (पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के अलावा) | अधिकतम अवधि 10 दिन |
| अन्य सभी केंद्रों में | अधिकतम अवधि 14 दिन |

III. विदेशों में देय चेक

ए. ऐसे लिखतों को सबसे तेज और सबसे कुशल तरीके से संग्रह के लिए स्वीकार किया जाता है। बैंक ऐसे लिखतों के शीघ्र संग्रह के लिए अपने प्रतिनिधि बैंक के साथ विशिष्ट व्यवस्था कर सकता है। शाखाएँ संबंधित देश के लिए लागू कूलिंग अवधि को ध्यान में रखते हुए, प्रतिनिधि बैंक के साथ बैंक के नोस्ट्रो खाते में आगम राशि की प्राप्ति के बाद ही पार्टियों को क्रेडिट देंगी, अर्थात यूएसडी मूल्यवर्ग के चेक के लिए 21 दिन जो यूएसए में देय हैं।

बी. ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत किए गए और संग्रहण के लिए स्वीकार किए गए लिखतों की वास्तविकता के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

सी. उपरोक्त समय सीमा इस बात पर ध्यान दिए बिना लागू होंगे कि चेक/लिखत बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों की शाखाओं पर आहरित किए गए हैं।

## 14. विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज का भुगतान

### 14.1 स्थानीय समाशोधन चेक

I. समाशोधन में प्रस्तुत स्थानीय चेकों के लिए, बैंक उपर्युक्त समय सीमा से परे क्रेडिट देने में देरी होने पर संग्रहण लिखतों की राशि पर ग्राहक को ब्याज का भुगतान करेगा।

II. विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज निर्धारित समय सीमा से परे विलंब की संगत अवधि के लिए बचत बैंक ब्याज दर पर भुगतान किया जाएगा।

III. ऐसा ब्याज सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों की ओर से किसी मांग के बिना भुगतान किया जाएगा।

### 14.2 बाहरी चेक

I. बैंक उपर्युक्त समय सीमा से परे क्रेडिट देने में देरी होने पर संग्रहण लिखतों की राशि पर ग्राहक को ब्याज का भुगतान करेगा। ऐसा ब्याज सभी प्रकार के खातों में ग्राहकों की ओर से किसी मांग के बिना भुगतान किया जाएगा।

II. विलंबित संग्रहण पर ब्याज के भुगतान के उद्देश्य से बैंक की अपनी शाखाओं या अन्य बैंकों पर आहरित लिखतों के बीच कोई अंतर नहीं होगा।

III. विलंबित संग्रहण के लिए ब्याज निम्नलिखित दरों पर भुगतान किया जाएगा:

i. बाहरी चेकों के संग्रहण में 7/10/14 दिनों से अधिक की देरी की अवधि के लिए बचत बैंक दर, जैसा भी मामला हो।

ii. जहां देरी 14 दिनों से अधिक है, वहां संबंधित अवधि की मियादी जमा पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

iii. असाधारण देरी (यानी 90 दिनों से अधिक की देरी) के मामले में, संबंधित मियादी जमा दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

iv. संग्रहण के तहत चेक की आगम राशि ग्राहक के ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की जानी है, तो ऋण खाते पर लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। असाधारण देरी के लिए, ऋण खाते पर लागू दर से 2% अधिक की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

IV. उपरोक्त पैरा 9.2.3 के तहत दिए गए ब्याज भुगतान केवल भारत के भीतर संग्रह के लिए भेजे गए लिखतों के लिए लागू होंगे।

## 15 परेषण/समाशोधन प्रक्रिया या भुगतानकर्ता शाखा में खोए हुए चेक/लिखत

I. यदि संग्रह के लिए स्वीकार किया गया चेक या लिखत परेषण या समाशोधन प्रक्रिया में या भुगतान करने वाले बैंक की शाखा में खो जाता है, तो बैंक को नुकसान का पता चलते ही तुरंत खाताधारक को इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि, वह भुगतान रोकने के लिए चेक जारीकर्ता को सूचित कर सके। इससे आदाता को यह भी ध्यान रखने में सुविधा होगी कि उसके द्वारा जारी किए गए चेक, यदि कोई हों, खोए हुए चेक/लिखतों की राशि जमा न किए जाने के कारण वापस न हो जाएं।

II. बैंक, चेक जारीकर्ता से लिखत की प्रतिलिपि प्राप्त करने में ग्राहक को आवश्यक और समुचित सहायता प्रदान करेगा।

III. बैंक परेषण में खोए हुए लिखतों के संबंध में, खाताधारक को निम्नानुसार क्षतिपूर्ति करेगा:

ए. यदि लिखत खोने की सूचना ग्राहक को संग्रह के लिए निर्धारित समय सीमा (7/10/14 दिन, जैसा भी मामला हो) के बाद दी जाती है, तो ऊपर निर्दिष्ट दरों पर निर्धारित संग्रह अवधि के बाद लगने वाले अधिक समय पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

बी. इसके अतिरिक्त, बैंक प्रतिरूप चेक/ लिखत प्राप्त करने और उसके संग्रह में आगे संभावित विलंब के लिए चेक की राशि के सापेक्ष बचत बैंक दर पर 15 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करेगा।

सी. यदि लिखत किसी बैंक/संस्था से प्राप्त किया जाना है, जो लिखत की प्रतिलिपि जारी करने के लिए शुल्क लेगा, तो बैंक प्रतिरूप चेक/लिखत प्राप्त करने में भी ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए किसी भी उचित प्रभार के लिए रसीद प्रस्तुत करने पर उन्हें क्षतिपूर्ति करेगा।

IV. यदि बैंक द्वारा चेक/लिखत को परेषण में खो दिया जाता है, तो भुगतान आदेश पर रोक लगाने के लिए यदि, कोई प्रभार लगता है, तो उसका वहन बैंक द्वारा किया जाएगा।

V. बैंक द्वारा भुनाए गए चेक के खो जाने की स्थिति में, चेक की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए लगने वाले प्रभार का वहन बैंक द्वारा केवल ऐसे प्रतिरूप चेक की प्राप्ति पर ही किया जाएगा। वापसी के मामले में, ग्राहक को कमीशन के अतिरिक्त, चेक की राशि पर ब्याज और डाक आदि जैसे अन्य रखरखाव प्रभार वहन करना होगा।

VI. ऐसे गुमशुदगी का दायित्व संग्रहकर्ता बैंकर का है, खाताधारक का नहीं।

VII. यदि चेक/लिखत भुगतानकर्ता बैंक की शाखा में खो जाता है, तो संग्रहकर्ता बैंकर को भुगतानकर्ता बैंकर से चेक/लिखत के क्षति के लिए ग्राहक को प्रतिपूर्ति की गई राशि वसूल करने का अधिकार होगा।

## 16 अपरिहार्य घटना

यदि बैंक के नियंत्रण से परे कोई अपरिहार्य घटना (जिसमें नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, तालाबंदी, हड़ताल या अन्य श्रमिक अशांति, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदाएँ या अन्य "ईश्वर कृत घटनाएँ", युद्ध, बैंक की सुविधाओं या उसके प्रतिनिधि बैंक(ओं) को नुकसान, संचार के सामान्य साधनों या सभी प्रकार के परिवहन आदि का अभाव शामिल है, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है) होती है, जो बैंक को निर्दिष्ट सेवा वितरण मानदंडों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने से रोक सकती है, तो बैंक विलंबित जमा के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

## 17 अदत्त वापस किए गए चेक पर ब्याज प्रभारित करना, जहां तत्काल क्रेडिट दिया गया था

I. यदि वसूली के लिए भेजा गया चेक, जिसके लिए बैंक द्वारा तत्काल क्रेडिट प्रदान किया गया था, बिना भुगतान के वापस आ जाता है, तो चेक का मूल्य तत्काल खाते से नामे किया जाएगा। ग्राहक से तत्काल क्रेडिट दिए जाने की तिथि से लेकर लिखत की वापसी की तिथि तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, जब तक कि धन की निकासी के कारण बैंक के पास धन जमा नहीं रहा हो। यदि शुरू में क्रेडिट नहीं दिया गया, तो खाते में अनुमानित अधि-आहरित शेष राशि पर ब्याज लगाया जाएगा।

II. यदि चेक की आगम राशि बचत बैंक खाते में जमा की गई हो और उसे आहरित नहीं किया गया हो, तो जमा की गई राशि ब्याज के भुगतान के लिए पात्र नहीं होगी, क्योंकि चेक को अदत्त रुप में वापस किया गया था।

III. यदि चेक/लिखत बैंक के पास उस सीमा तक हो धन की कमी के कारण अदत्त वापस कर दिया गया हो और आगम राशि ओवरड्राफ्ट/ऋण खाते में जमा की गई, तो ओवरड्राफ्ट/ऋण खाता पर लागू ब्याज दर से 2% अधिक की दर से जमा तिथि से प्रविष्टि के प्रत्यावर्तित होने की तिथि तक ब्याज वसूल किया जाएगा ।

## 18 अनादरण चेक की वापसी/प्रेषण

I. अनादरित लिखत अविलंब किसी भी स्थिति में 24 घंटे के भीतर ग्राहक को वापस/प्रेषित कर दिए जाएंगे।

II. चेक के अनादर/वापसी के मामले में बैंकर समाशोधन गृह संबंधी एक समान विनियमन और नियम (यूआरआरबीसीएच) के नियम 6 में निर्धारित अनुसार भुगतानकर्ता बैंक वापसी मेमो/आपत्ति पर्ची पर वापसी के कारण कोड को स्पष्ट रूप से इंगित करेंगे, जिस पर बैंक अधिकारियों के हस्ताक्षर/अद्यक्षर भी होंगे।

III. ऐसे चेक जो जमा पर्ची पर गलत खाता संख्या के साथ जमा किए गए हैं, बैंक उन चेक को 24 कार्य घंटों के भीतर उल्लिखित पते पर ग्राहकों को वापस कर देगा। तथापि, जमा पर्ची पर अधूरे पते, अधूरे फोन नंबर, कोई फोन नंबर नहीं होने की स्थिति में बैंक इन लिखतों को अधिकतम 3 महीने की अवधि तक रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

IV. अदत्त वापस प्राप्त चेक को बैंक के डेटाबेस में दर्ज पते पर 24 कार्य घंटों के भीतर ग्राहक को डाक/कूरियर आदि द्वारा भेज दिया जाएगा। तथापि, यदि ग्राहक इसके लिए अनुरोध करता है तो इन्हें काउंटर पर वापस करने के लिए बैंक में रखा जाएगा। यदि ग्राहक द्वारा 15 दिनों के भीतर इसे एकत्र नहीं किया जाता है, तो बैंक उन्हें डाक या कूरियर द्वारा दर्ज पते पर वापस भेज देगा।

## 19 सेवा प्रभार

सभी संग्रहण सेवाओं के लिए, शाखाएँ कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित और सूचित अनुसार उचित सेवा प्रभार वसूलेंगी।

# विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग के चेक के संग्रहण संबंधी नीति

## 1. प्रस्तावना

1.1 बैंकों की **विदेशी मुद्रा** चेक संग्रहण कार्यप्रणाली का अध्ययन पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ग्राहक हितैषी संग्रहण व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाने का सुझाव दिया। भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमारे बैंक के बोर्ड ने "**विदेशी मुद्रा** में मूल्यवर्गित चेकों के संग्रह संबंधी नीति" को अनुमोदित किया है।

1.2 नीति के इस भाग में विदेश में देय विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित लिखतों के संग्रहण के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं।

## 2. नीति का दायरा:

2.1 यह नीति ग्राहकों के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के आधार पर तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित पहलु शामिल हैं।

• भारत के बाहर देय चेक और अन्य लिखतों का संग्रह।

• नीति का प्रचार-प्रसार और प्रदर्शन।

• प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग और ग्राहक जागरूकता संबंधी प्रतिबद्धता।

• परेषण समय में कमी।

• सेवा प्रभार

• ब्याज का भुगतान

• मुआवजे का भुगतान

• कम मूल्य के चेक के लिए तत्काल क्रेडिट।

• ग्राहक शिकायतें।

• अन्य मुद्दे।

2.2 यह नीति आरबीआई के निर्देशानुसार संग्रहण के लिए लिखतों की स्वीकृति और अनुभव के आधार पर विदेशी लिखतों के संग्रह अवधि निर्दिष्ट करती है, यह केवल 'सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर' का उल्लेख नहीं करती है और बैंक के नोस्ट्रो खाते में राशि प्राप्त होने पर ही ग्राहकों के खाते में जमा करती है।

2.3 यह नीति ग्राहकों को त्वरित संग्रह सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग की प्रतिबद्धता को कवर करती है। शाखाएँ ग्राहकों को आवश्यकता, सुविधा और शुल्क के आधार पर संग्रह पद्धति पर प्रशिक्षित/सूचित करेंगी, जिसमें भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों का उपयोग करने के लाभ भी शामिल हैं।

## 3. भारत के बाहर के देशों में देय चेक और अन्य लिखतों का संग्रहण

3.1 इस नीति में नोस्ट्रो प्रतिनिधि बैंकों के माध्यम से विदेशी केंद्रों पर देय विदेशी मुद्रा लिखतों और लागू सेवा प्रभारों का संचालन शामिल है। ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत किए गए और संग्रह के लिए स्वीकार किए गए लिखतों की प्रामाणिकता के लिए बैंक कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करता है।

3.2 शाखाएँ दो प्रकार की सेवाओं का उपयोग कर सकती हैं अर्थात (क) नकद पत्र सेवाएँ, (ख) चेक संग्रह/अंतिम जमा सेवाएँ।

**4. नकद पत्र सेवाएँ**

4.1 इस सेवा के अंतर्गत, नोस्ट्रो प्रतिनिधि बैंकों के स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालयों को उनके द्वारा प्रदान किए गए पूर्व-मुद्रित क्रमबद्ध जमा टिकटों में देय निर्बंध लिखत अग्रेषित किए जाते हैं, ताकि लिखतों के छायाचित्रों को उनके कार्यालयों में भेजा जा सके। नकद पत्र सेवा यूएसडी, जीबीपी, ईयूआर, सीएडी मुद्राओं में मूल्यवर्गित चेक के संचालन के लिए उपलब्ध है, जिसकी सीमा वास्तविक मुद्रा में 10,000 इकाई तक है।

4.2 यह प्रणाली दुनिया भर में चेक की राशि का भुगतान करने का सबसे सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि यह कम श्रम-गहन है और सामान्यतः अन्य प्रणाली की तुलना में कम खर्चीला है और सामान्यतः निःशुल्क है। इस प्रणाली में, अंतिम भुगतान के अधीन नोस्ट्रो खाते में तत्काल क्रेडिट दिया जाता है अर्थात् नोस्ट्रो खाते को लिखतों की प्राप्ति के तुरंत बाद आरक्षित निधि के तहत जमा किया जाता है और बाद में वसूली के लिए आहर्ता बैंकों को भेजा जाता है। इस प्रणाली के तहत, सामान्यतः विदेशी केंद्र पर चेक प्राप्त करने की तिथि से 7 से 10 दिनों के भीतर नोस्ट्रो खाते में धनराशि जमा की जाती है। अमेरिका में चेक वापसी की पद्धतियों का ध्यान रखने के लिए 21 दिनों की कूलिंग अवधि/फॉल बैक अवधि निर्धारित की गई है और इसलिए कूलिंग अवधि को ध्यान में रखते हुए भी ग्राहकों को क्रेडिट उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, जाली पृष्ठांकन, तात्विक परिवर्तन, नकल आदि के मामले में, फॉल बैक अवधि रुपांतरित चेक के लिए 1 वर्ष, धोखाधड़ी के लिए 3 वर्ष और ट्रेजरी चेक के लिए 7 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इसलिए, चेक वापस होने की स्थिति में बैंक संभावित क्रेडिट जोखिम उठाता है।

4.3 केवल ऐसे महत्वपूर्ण ग्राहकों को छोड़कर, जहाँ शाखा को विश्वास हो कि लिखत की वापसी के मामले में राशि वसूली जा सकती है, शाखाएँ केवल आरक्षित अवधि की समाप्ति के बाद ही राशि दे सकती हैं।

4.4 एयूडी, एसजीडी, जेपीवाई, सीएचएफ़ मुद्राओं में अंकित चेक के लिए नकद पत्र सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं। इन चेकों को संग्रह के लिए हमारे नोस्ट्रो प्रतिनिधि बैंकों को भौतिक रूप से भेजा जाएगा।

**5. प्रत्यक्ष संग्रहण व्यवस्था (डीसीए)**

वास्तविक मुद्रा में 10,000 इकाई से अधिक मूल्य के चेक संग्रह के लिए यूएसए में सीधे आहर्ता बैंकों को भेजे जाएँगे। सामान्यतः संग्रह सेवाएँ निर्बाध निधियों की प्राप्ति सुनिश्चित करती हैं, अर्थात् वापसी का जोखिम लगभग समाप्त हो जाता है। इसलिए, उच्च मूल्य के चेक सामान्यतः संग्रहण के तहत भेजे जाते हैं, हालांकि, इसमें अधिक समय लग सकता है।

**6. संग्रहण के तरीके का चयन**

जब तक ग्राहक द्वारा प्रत्यक्ष संग्रहण व्यवस्था (डीसीए) के लिए विशेष रूप से अनुरोध नहीं किया जाता है, शाखाएँ यूएसडी 10000/- से कम राशि के लिए केवल "नकद पत्र प्रारूप" के तहत यूएस डॉलर चेक संग्रह सेवा पेश करेंगी।

यूएसडी 10000 समतुल्य या अधिक की राशि के लिए "प्रत्यक्ष संग्रहण व्यवस्था"(डीसीए) अनिवार्य रूप से संग्रहण पद्धति होगी।

**7. परेषण समय में कमी**

शाखाओं द्वारा परेषण समय को कम करने के लिए चेक प्राप्ति की तिथि पर चेक संचालन तथा कुशल और विश्वसनीय कूरियर/डाक सेवा का उपयोग करके चेक को प्रतिनिधि बैंकों में भेजा जाए। संग्रह की अवधि चेक जमा करने की तिथि से 5 से 7 कार्य दिवस तक निर्धारित की गई है (नकद पत्र सेवाओं के तहत अवलंब आधार पर) जिसमें नोस्ट्रो खाते में जमा करने की तिथि से 21 दिन की कूल ऑफ अवधि है।

**8. सेवा प्रभार**

सभी संग्रह सेवाओं के लिए, शाखाएँ समय-समय पर कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा निर्धारित और सूचित किए गए उचित सेवा प्रभार वसूल करेंगी।

**9. विलंबित क्रेडिट हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान**

आरबीआई ने घोषित संग्रह अवधि के बाद विलंब संग्रहण के लिए ग्राहक को अतिरिक्त ब्याज के रूप में मुआवजे का भुगतान करने का सुझाव दिया, जो ग्राहक द्वारा इसके लिए अनुरोध किए बिना और ऐसा ब्याज विलंब अवधि के लिए "वृद्धिशील आधार" पर होगा। तदनुसार, इस नीति में नकद पत्र सेवाओं के अंतर्गत भेजे गए चेकों के मामले में नोस्ट्रो खाते (मूल्य तिथि) से ग्राहक के खाते में जमा होने की तिथि तक 21 दिनों से अधिक विलंब अवधि के लिए बचत खाते पर ब्याज के साथ 2% की दर से अतिरिक्त ब्याज के रूप में मुआवजे का भुगतान करने का विचार किया गया है।

**10. कम मूल्य के चेक के लिए तत्काल क्रेडिट**

विदेशी मुद्रा चेकों के तत्काल क्रेडिट की सुविधा पहले से ही लागू है। इस योजना के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है:

• कम से कम एक वर्ष से शाखा में समुचित रूप से प्रारंभ किए गए बचत खातों को संचालित करने वाले व्यक्तिगत और संयुक्त खाताधारक इस सुविधा के लिए पात्र हैं।

• इस सुविधा के तहत केवल यूएसडी और आहरित व्यक्तिगत चेक ही खरीदे जा सकते हैं। तथापि, यूएस डॉलर में आहरित और यूएसए के बाहर भुगतान किए जाने वाले चेक इस सुविधा के तहत कवर नहीं किए जाएंगे।

• खरीदे जाने वाली पात्र राशि यूएसडी 500 के बराबर है।

• यह योजना ग्रामीण शाखाओं को छोड़कर सभी शाखाओं पर लागू है।

• चेक वापसी की स्थिति में, शाखा को बिना भुगतान वापस किए गए बीपी पर लागू ब्याज वसूलना होगा जो खरीद तिथि से लेकर खाते में नामे तिथि तक/ ग्राहक से वसूली की तिथि तक होगी।

• पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले ग्राहकों को एक समय में एक से अधिक चेक पर तत्काल क्रेडिट सुविधा दी जा सकती है, जिसकी कुल सीमा यूएसडी 500 के बराबर होगी।

## 11. ग्राहक शिकायत

आगम राशि के संग्रहण/प्राप्ति में देरी से संबंधित ग्राहक शिकायतों का तत्काल निपटान किया जाएगा।

## 12. अमेरिकी विनियमन की प्रयोज्यता

अमेरिकी बैंकों पर आहरित यूएसडी मूल्यवर्ग के चेक के संग्रह के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों का निर्धारण करने के लिए बुनियादी कानूनी ढांचा का स्वरूप यूनिफ़ॉर्म कमर्शियल कोड (यूसीसी) आदि जैसे अमेरिकी संघीय और राज्य कानूनों के तहत निर्धारित कानूनी ढांचे द्वारा शासित होता है। तथापि, इस प्रक्रिया के माध्यम से संचालित नकली चेक की वापसी की स्थिति में, यूएस में आहर्ता बैंक को यूएस समाशोधन गृह दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुतकर्ता बैंकों से राशि वसूलने का अधिकार है।

## 13. अन्य दिशानिर्देश

13.1 बैंक इस प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा और जहाँ भी संभव हो, उसे अपनाएगा।

13.2 यदि बैंक के नियंत्रण से परे कोई अपरिहार्य घटना (जिसमें नागरिक उपद्रव, तोड़फोड़, तालाबंदी, हड़ताल या अन्य श्रमिक अशांति, दुर्घटना, आग, प्राकृतिक आपदाएँ या अन्य "ईश्वर कृत घटनाएँ", युद्ध, बैंक की सुविधाओं या उसके प्रतिनिधि बैंक(ओं) को नुकसान, संचार के सामान्य साधनों या सभी प्रकार के परिवहन आदि का अभाव शामिल है, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है) होती है, जो बैंक को निर्दिष्ट सेवा वितरण मानदंडों के भीतर अपने दायित्वों को पूरा करने से रोक सकती है, तो बैंक विलंबित जमा के लिए ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

13.3 चेक की वापसी पर यूएसए में प्रचलित स्थानीय कानून लागू होंगे और यदि ग्राहक के खाते में धनराशि जमा होने के बाद चेक बिना भुगतान के वापस किया जाता है, तो ग्राहक बैंक को धनराशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा और ग्राहक चेक की वापसी के लिए प्रतिनिधि द्वारा नामे किए गए किसी भी आकस्मिक प्रभार का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

## 14. नीति की समीक्षा

नीति की समीक्षा प्रत्येक दो वर्ष में की जाएगी। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस योजना में भविष्य में किसी भी आशोधन/ संशोधन को मंजूरी देने या योजना को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस लेने और सेवा प्रभार सहित किसी भी मानदंड में छूट देने के लिए प्राधिकारी हैं।